...लय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

संख्या ::– 90/2019

श्रीमति मुन्नादेवी पत्नी स्व. नंदकिशोर जी ब्राम्हण निवारी मेघपुरा तह0 बेगूँ
वादीया

बनाम

1 गौरधन पिता रामनारायण जी ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2 भागीरथ पिता रामनारायण जी ब्राम्हण मृतक के बजाय ::–
2/1– कृष्णचंद्र पिता भागीरथ जी ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2/2– सीता पुत्री भागीरथ जी ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ हालमुकाम पति बालुलाल जी शर्मा निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2/3– गोपाल पिता भागीरथ जी शर्मा निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2/4– शांता पुत्री भागीरथ जी शर्मा निवासी मेघपुरा हालमुकाम पति शंभुलाल जी शर्मा निवासी उोराई तह0 बेगूँ
3 श्राजुलाल पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
4 स्ंजय कुमार पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
5 श्रीमति कमला पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
6 श्रीमति चंदा पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
7 प्रेम पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
8 धापू पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
9 भगवतीबाई पत्नी जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
10 नन्दराम पिता रोडा धाकड निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
11 लाभचंद्र पिता रोडा धाकड निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
12 किशनलाल पिता रोडा धाकड निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
13 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता वादीया
श्री पारस कुमावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::– 17.07.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जे की ग्राम मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा तह0 बेगूँ में निम्न कृषि आराजीयात संलग्न जमाबंदी सं0 2072–75 खतौनी सं0 156 में दर्ज है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
76	1.4000
618	0.3660
633	0.2830
821	0.4210
828	0.4940
830	3.3660
831	0.0970
832	0.0160
833	0.2270
834	0.2910
835	0.2910
836	0.7610
837	0.6550

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

0.0810
1.2950

|—15 कुल एकबा 10.0440 हैक्टर

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 तक के संयुक्त खाते मे ग्राम मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा मे निम्न कृषि आराजीयात कब्जे काश्त की संलग्न जमाबंदी संवत 2072—75 के खतौनी सं0. 105 मे दर्ज है :—

आराजी संख्या	एकबा हेक्टर
32	1.9660

यह कि कलम संख्यरा एक में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 से 9 तक का 1/6 हिस्सा हैं। यह कि कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 3 से 9 तक का 1/3 हिस्सा, प्रतिवाद ीसं0 10 से 12 का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण कके मध्य आये दिन सीमा आदि को लेकर विवाद होता रहता है, इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन कराया जावें। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त कलम सं0 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने के लिए यह वाद प्रस्तुत हैं।

यह कि वादीया ने प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने के लिए दिनांक 27.5.2019 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण सहमत नहीं हुए इसलिये वादीया को यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वाद कारण दिनांक 27.5.2019 से आपसी सहमति से विभाजन के लिये प्रतिवादीगण को कहन पर इन्कार कर देने के कारण उत्पन्न होकर हररोज वर्तमान है। वाद वर्णित कृषि भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार मे स्थित होने से श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। विभाजन के वाद पत्र के लिए भूमिधारी जी तहसीलदार साहब आवश्यक पक्षकार होन`से उन्हें प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादीया न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की आज्ञप्ति हेतु प्रार्थना करती है :—

(क) कि ग्राम मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 76, 618, 633, 821, 828, 830 से 839 कुल कीता—15 कुल क्षैत्रफल 10.0440 हैक्टर कृषि भूमि में निहित वादिया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 एक का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 से 9 तक का 1/6 हिससा अनुसार मौके पर अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में भी विभाजन अनुसार दर्ज किये जाने की डिकी वादिया के पख में प्रतिवादीगण के विरूद्ध फरमायी जावें।

(ख) कि ग्राम मेघपुरा तहसील बेगूँ की असाराजी संख्या 32 क्षैत्रफल 1.9660 हैक्टर में निहित वादिया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 से 9 तक का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी सं0 10 से 12 तक का 1/2 हिस्सा अनुसार मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विभाजन किये जाने की डिकी वादयिा के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध फरमायी जावें ।

(ग) कि वाद विभाजन उक्त वर्णित दोनो खाते में वादिया के निहित हक हिस्सा भूमि का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादिया के पक्ष में प्रदान करायी जावें।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादिया हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराये जाने की आज्ञप्ति फरमायी जावें।

(ड) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादिया को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने की आज्ञप्ति फरमायी जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वादीया का वादपत्र बाद जॉच दर्जरजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये तलब किया गयां। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,3,4,10,11 व 12 बावजूद सूचना के उपस्थित आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में वादी संख्या 2 भागीरथ के वारिसान की ओर से एवं प्रतिवादी सं0 5 से 9 तक की ओर से धिवक्ता श्री पारस कुमावत ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण को प्रकरण में जवाब स्तुत किये जाने बाबत कई अवसर अंतिम अवसर एवं कोस्ट पर अवसर दिये गये किन्तु प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायलय द्वारा दिये गये । पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के पश्चात पत्रावली में वादीया की ओर से साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादीया मुन्नादेवी व गवाह उंकार लाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए वादीया मुन्नादेवी से मुख्य परीक्षण में उनके बयान कलमबद्ध कराये वादीया द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी को प्रदर्श कराते हुए अपनी बयान कलमबद्ध करा पूर्ण किए। पत्राावली में वादीया की साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध मामला एक तरफा का होने से अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार ही करते हुए वादीया का दोनो ही खातो में दर्ज हिस्सा का बंटवाडा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार करने व खाता पृथक दर्ज करने का निवेदन किया। बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जिसमे पाया कि मौजा मेघपुरा की प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 76, 618, 633, 821, 828, 830 से 839 कुल कीता–15 कुल क्षेत्रफल 10.0440 हैक्टर कृषि भूमि में वादीया मुन्नादेवी का हिस्सा 1/6 दर्ज है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार दर्ज है साथ ही खाता संख्या 105 में दर्ज आराजी सख्या 32 रकवा 1.966 हैक्टर भूमि भी वादीया मुन्नादेवी का हिस्सा 1/6 दर्ज होकर शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का दर्ज अंकित है। वादीया अपने निहित हक हिस्से का विभाजन करा पाने की अधिकारी पाई जाती हैं। वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 76, 618, 633, 821, 828, 830 से 839 कुल कीता–15 कुल क्षैत्रफल 10.0440 हैक्टर कृषि भूमि में वादीया मुन्नादेवी का हिस्सा 1/6 दर्ज है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार तथा मौजा मेघपुरा प0ह0 मेघपुरा की खाता संख्या 105 में दर्ज आराजी सख्या 32 रकवा 1.966 हैक्टर भूमि भी वादीया मुन्नादेवी का हिस्सा 1/6 दर्ज होकर शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिती में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं दावा प्राथमिक डिक्रि किया जाता है। तथा प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूॅ को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कृषि आराजीयात का विभाजन वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूॅ को विभाजन प्रस्तावत भिजवाने हेतु प्राथमिक डिक्री की प्रति भिजवाई गई जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूॅ द्वारा उनके पत्र कमांक /राजस्व (कोर्ट)/2025/599 दिनांक 15.07.2025 के साथ संलग्न फर्द बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस दोप्रति व जमाबंदीयात आराजी के साथ न्यायालय मे प्रेषित किये जिस पर अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुना गया जिन्होने प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना बताते हुए वादीगण का वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है, जिससे वादीगण का वादपत्र मुताबिक फर्दबंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाने एवं अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा मेघपुरा पटवार हल्का

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

की कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का निम्नानुसार जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकोर्ड में प्रथक प्रथक दर्ज किये के आदेश दिये जाते है :–

ता स. 161/2078

– मुन्नादेवी पति नन्दकिशोर ब्राम्हण निवासी मेघपुरा खातेदार :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
821 मे	0.0700	बीड	0.17
828 मे	0.0490	बीड	0.12
830 मे	0.2800	बीड	0.70
830 मे	0.0190	बीड	0.05
833 मे	0.2270	चाही2	3.15
		0.1130	1.55
		जाव2	
		0.1140	
834 मे	0.0400	चाही2	1.11
835 मे	0.0400	चाही2	1.11
836 मे	0.1500	चाही2	4.18
837 मे	0.1100	चाही2	3.07
838 मे	0.0810	चाही2	0.92
		0.0330	0.65
		जाव2	
		0.0480	
839 मे	0.2500	चाही2	6.97
कीता– 11 रकबा	1.3160 हैक्टर		23.75

2– कमला पुत्री जमनालाल 1/35, कृष्णचंन्द पुत्र भागीरथ 1/20, गोपाललाल पुत्र भागीरथ 1/20, गोरधन पुत्र रामनारायण 3/5, चन्दा पुत्री जमनालाल 1/35, धापू पुत्री जमनालाल 1/35, प्रेम पुत्री जमनालाल 1/35, भगवती बाई पति जमनालाल 1/35, राजूलाल पुत्र जमनालाल 1/35, शान्ताबाई पुत्री भागीरथ 1/20, संजयकुमार पुत्र जमनालाल 1/35, सीताबाई पुत्री भागीरथ 1/20 ब्राम्हण

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
821 मे	0.2110	बीड	0.53
821 मे	0.1400	बीड	0.12
828 मे	0.0800	बीड	0.20
828 मे	0.3650	बीड	0.92
830 मे	1.0920	बीड	2.73
830 मे	1.9750	बीड	4.94
832	0.0160	बीड	0.04
834 मे	0.2510	चाही2	7.01
835 मे	0.2510	चाही2	7.01
836 मे	0.6110	चाही2	17.05
837 मे	0.5450	चाही2	15.20
839 मे	1.0450	चाही2	26.45
		0.9480	0.65
		जाव2	
		0.0970	1.32
कीता– 12 रकबा	6.5820 हैक्टर		83.75

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

खाता बदस्तुर जमाबंदी अनुसार

राजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म
331 मे	0.0970	अ.चा.

ता संख्या 179

— मुन्नादेवी पति नन्दकिशोर ब्राम्हण निवासी मेघपुरा खातेदार :—

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	लगान
32 मे	0.3270	0.82

कीता— 01 रकबा 0.3270 हैक्टर 0.82

2— कमला पुत्री जमनालाल 1/35, कृष्णचंन्द पुत्र भागीरथ 1/20, गोपाललाल पुत्र भागीरथ 1/20, [illegible] चन्दा पुत्री जमनालाल 1/35, धापू पुत्री जमनालाल 1/35, प्रेम पुत्री जमनालाल 1/35, भगवती बाई पति जमनालाल 1/35, राजूलाल पुत्र जमनालाल 1/35, शान्ताबाई पुत्री भागीरथ 1/20, संजयकुमार पुत्र जमनालाल 1/35, सीताबाई पुत्री भागीरथ 1/20 ब्राम्हण सा. देह किशनलाल, नन्दराम, लाभचन्द पुत्र रोडा 3/5, धाकड हि.ब. सा. पाडावास खातेदार रहन हिस्सा लाभचन्द का बैंक ऑफ बडौदा शाख बेंगूॅ

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
32 मे	0.6550	बीड	1.64
32 मे	0.9840	बीड	2.46

कीता— 2 रकबा 1.6390 हैक्टर 4.10

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज कर खाता अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूॅ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

ायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

संख्या :– 90/2019

श्रीमति मुन्नादेवी पत्नी स्व. नंदकिशोर जी ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
वादीया

बनाम

1 गौरधन पिता रामनारायण जी ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2 भागीरथ पिता रामनारायण जी ब्राम्हण मृतक के बजाय :–
2/1– कृष्णचंद्र पिता भागीरथ जी ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2/2– सीता पुत्री भागीरथ जी ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ हालमुकाम पति बालुलाल जी शर्मा निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2/3– गोपाल पिता भागीरथ जी शर्मा निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
2/4– शांता पुत्री भागीरथ जी शर्मा निवासी मेघपुरा हालमुकाम पति शंभुलाल जी शर्मा निवासी जोराई तह0 बेगूँ
3 श्राजुलाल पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
4 स्जय कुमार पिता जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
5 श्रीमति कमला पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
6 श्रीमति चंदा पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
7 प्रेम पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
8 धापू पुत्री जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
9 भगवतीबाई पत्नी जमनालाल ब्राम्हण निवासी मेघपुरा तह0 बेगूँ
10 नन्दराम पिता रोडा धाकड निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
11 लाभचंद्र पिता रोडा धाकड निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
12 किशनलाल पिता रोडा धाकड निवासी पाडावास तह0 बेगूँ
13 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं जिला चितौडगढ

प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र टेलर की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 17.07.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा मेघपुरा पटवार हल्का मेघपुरा की कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का निम्नानुसार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकोर्ड में प्रथक प्रथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

खाता स. 161/2078

1– मुन्नादेवी पति नन्दकिशोर ब्राम्हण निवासी मेघपुरा खातेदार :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
821 मे	0.0700	बीड	0.17
828 मे	0.0490	बीड	0.12
830 मे	0.2800	बीड	0.70
830 मे	0.0190	बीड	0.05
833 मे	0.2270	चाही2	3.15
		0.1130 जाव2	1.55

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

		0.1140	
	0.0400	चाही2	1.11
1	0.0400	चाही2	1.11
मे	0.1500	चाही2	4.18
/ मे	0.1100	चाही2	3.07
38 मे	0.0810	चाही2	0.92
		0.0330	0.65
		जाव2	
		0.0480	
839 मे	0.2500	चाही2	6.97

कीता– 11 रकबा 1.3160 हैक्टर 23.75

2– कमला पुत्री जमनालाल 1/35, कृष्णचंन्द पुत्र भागीरथ 1/20, गोपाललाल पुत्र भागीरथ 1/20, गोरधन पुत्र रामनारायण 3/5, चन्दा पुत्री जमनालाल 1/35, धापू पुत्री जमनालाल 1/35, प्रेम पुत्री जमनालाल 1/35, भगवती बाई पति जमनालाल 1/35, राजूलाल पुत्र जमनालाल 1/35, शान्ताबाई पुत्री भागीरथ 1/20, संजयकुमार पुत्र जमनालाल 1/35, सीताबाई पुत्री भागीरथ 1/20 ब्राम्हण

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
821 मे	0.2110	बीड	0.53
821 मे	0.1400	बीड	0.12
828 मे	0.0800	बीड	0.20
828 मे	0.3650	बीड	0.92
830 मे	1.0920	बीड	2.73
830 मे	1.9750	बीड	4.94
832	0.0160	बीड	0.04
834 मे	0.2510	चाही2	7.01
835 मे	0.2510	चाही2	7.01
836 मे	0.6110	चाही2	17.05
837 मे	0.5450	चाही2	15.20
839 मे	1.0450	चाही2	26.45
		0.9480	0.65
		जाव2	
		0.0970	1.32

कीता– 12 रकबा 6.5820 हैक्टर 83.75

3– शेष खाता बदस्तुर जमाबंदी अनुसार

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म
831 मे	0.0970	अ.चा.

खाता संख्या 179

1 – मुन्नादेवी पति नन्दकिशोर ब्राम्हण निवासी मेघपुरा खातेदार :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	लगान
32 मे	0.3270	0.82

कीता– 01 रकबा 0.3270 हैक्टर 0.82

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

मला पुत्री जमनालाल 1/35, कृष्णचंन्द पुत्र भागीरथ 1/20, गोपाललाल पुत्र भागीरथ 1/20, चन्दा पुत्री जमनालाल 1/35, धापू पुत्री जमनालाल 1/35, प्रेम पुत्री जमनालाल 1/35, भगवती बाई पति जमनालाल 1/35, राजूलाल पुत्र जमनालाल 1/35, शान्ताबाई पुत्री भागीरथ 1/20, संजयकुमार पुत्र जमनालाल 1/35, सीताबाई पुत्री भागीरथ 1/20 ब्राम्हण सा. देह किशनलाल, नन्दराम, लाभचन्द पुत्र रोडा 3/5, धाकड हि.ब. सा. पाडावास खातेदार रहन हिस्सा लाभचन्द का बैंक ऑफ बडौदा शाख बेंगूं

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
32 मे	0.6550	बीड	1.64
32 मे	0.9840	बीड	2.46
कीता– 2 रकबा	1.6390 हैक्टर		4.10

उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज कर खाता अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/516 दिनांक :– 21.7.25

दावा संख्या 90/2019 व अनवान श्रीमति मुन्नदेवी बनाम गौरधन वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ